

तत्काल

कमांक 34/2/2015-डब्ल्यू एम (3)

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
2. सभी आयुक्त/उपायुक्त हरियाणा ।
3. रजिस्ट्रार जनरल, पंजाब एवं हरियाणा उच्चन्यायलय चण्डीगढ़ ।
4. सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरियाणा ।
दिनांक चण्डीगढ़,

विषय:- हरियाणा राज्य के अधिकारियों/कर्मचारियों को मकान ऋण, वाहन ऋण, कम्प्यूटर ऋण व विवाह से सम्बन्धित स्टेटमैन्ट ऑनलाईन प्राप्त करने बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर महालेखाकार हरियाणा ने अपने अर्द्ध-सरकारी

पत्र संख्या loan -1/e-mode/2014-15/2608 dated 4.3.2015 द्वारा सूचित किया है कि हरियाणा राज्य के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्ष 2014-15 में मकान ऋण, वाहन ऋण, कम्प्यूटर ऋण व विवाह ऋण आदि से सम्बन्धित स्टेटमैन्ट महालेखाकार हरियाणा द्वारा मूलरूप (physically) में जारी नहीं की जायेगी चूंकि उन द्वारा सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के मकान ऋण, वाहन ऋण, कम्प्यूटर ऋण एवं विवाह ऋण से सम्बन्धित स्टेटमैन्ट ऑनलाईन कर दी गई है जो उनकी बेबसाईट (www.aghry.gov.in) पर उपलब्ध है के दृष्टिगत आपको सूचित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ कर्मचारियों को कृपया निर्देश देवें की विषयक मामले पर वर्णित ब्यौरा (प्रति) महालेखाकार हरियाणा की बेबसाईट से प्राप्त करें।

भवदीय

संयुक्त सचिव

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।

पृष्ठ कमांक 34/2/2015-डब्ल्यू एम (3)

दिनांक चण्डीगढ़

इसकी एक प्रति महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हरियाणा चण्डीगढ़ को उपरोक्त के संदर्भ में सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यावाही हेतु भेजी जाती है।

संयुक्त सचिव

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग ।